साप्ताहिक
बुलंद गोंदिया
खबरों का आईना

प्रधान संपादक : **अभिषेक चौहान** । संपादक : **नवीन अग्रवाल**

E-mail : **bulandgondia@gmail.com** | E-paper : **bulandgondia.net** | Office Contact No.: **7670079009** | **RNI NO. MAH-HIN-2020/84319**

वर्ष : 4 | अंक : 40 | गोंदिया : गुरुवार, दि. 16 मई से 22 मई 2024 | पृष्ठ : 4 | मूल्य : रु. 5

खेत से 66,000 की सामग्री चोरी

गोंदिया-रामनगर निवासी फिर्यादी मंगेश धोटे (42) के खेत से अज्ञात व्यक्ति ने पाइप, 5 फावड़े, 4 कुदल, 5 घमेले, सौर ऊर्जा पैनल झटका मशीन, वजन काटा, मोटर पंप, मोटर पंप का स्टार्टर, बोरवेल पर लगी 2 मोटर पंप, 15 प्लास्टिक के कॉलम पाइप, केबल वायर ऐसे कुल 66 हजार 700 रुपये की सामग्री चुरा लिया. फिर्यादी की शिकायत पर गंगाझरी पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

गोंदिया जिले का ऐतिहासिक फैसला पहली बार हत्यारे आरोपी किशोर शेन्डे को फांसी की सजा

पत्नी, बेटे व ससुर की पेट्रोल छिड़ककर की थी हत्या, फास्ट्रेक न्यायालय का निर्णय

बुलंद गोंदिया (नवीन अग्रवाल)- गोंदिया शहर के अंतर्गत आने वाले सूर्यटोला परिसर का बहुचर्चित हत्याकांड पत्नी,नाबालिग बेटे व ससुर के तिहरा हत्याकांड में गुरुवार 9 मई को तदर्थ जिला न्यायाधीश क्रमांक 1 वह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनबी लवटे द्वारा गोंदिया के इतिहास में पहली बार ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए हत्यारे आरोपी किशोर श्रीराम शेन्डे को मृत्युदंड फांसी की सजा सुनाई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रकरण इस प्रकार है की गोंदिया शहर के रामनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सूर्याटोला निवासी देवनंद मेश्राम उसकी बेटी आरती शेन्डे वह नाती जय शेन्डे को उनके दामाद किशोर श्रीराम शेन्डे ग्राम भिवापुर तहसील तिरोडा निवासी द्वारा 14 से 15 फरवरी 2023 के मध्य रात्रि में पेट्रोल डालकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था जिसमें तीनों की मौत हो गई थी।

मामला इस प्रकार है कि आरोपी किशोर शेन्डे हमेशा ही अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह लेकर उसके साथ मारपीट कर शारीरिक को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहता था तथा घटना के एक वर्ष पूर्व चरित्र पर संदेह को लेकर ग्राम में उसे बांधकर पिटाई भी की थी इससे घबराकर आरती अपने पिता के घर गोंदिया सूर्यटोला अपने दोनों बच्चों को लेकर आ गई थी। लेकिन आए दिन आरोपी अपनी ससुराल में पहुंचकर विवाद कर अपनी पत्नी को जान से

मारने की धमकी भी देता था। घटना के दिन 14 से 15 फरवरी की मध्य रात्रि उनकी हत्या करने के उद्देश्य से 10 लीटर पेट्रोल लेकर अपनी एक्टिवा से पहुंचा तथा घर के बरामदे में लकवाग्रस्त ससुर देवानंद मेश्राम पर पेट्रोल डालने के पश्चात दरवाजे से घर के अंदर पेट्रोल डालकर दरवाजा खटखटाया जब उसकी पत्नी आरती ने दरवाजा खोला तो माचिस की तीली जलाकर आग लगा दी। इस घटना में देवानंद मेश्राम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी तथा आरती व जय गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे जिन्हें उपचार के लिए गोंदिया के शासकीय जिला चिकित्सालय में दाखिल कराया तथा स्थिति चिंताजनक होने पर आगे के उपचार के लिए नागपुर के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया जहां उपचार के दौरान नाबालिक जय की 15 फरवरी को मौत हो गई वहीं आरती की 21 फरवरी को मौत हो गई।

उपरोक्त मामले में मृतक आरती के भाई फरियादी द्वारा रामनगर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ भादवी की धारा 302, 307, 436 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया तथा मामले की गहराई से छानबीन की वह न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। फास्ट्रेक न्यायालय में मामला तिहरा हत्याकांड होने व मामले की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त मामला फास्ट्रेक न्यायालय में दाखिल कराया गया जिसका 6 माह में फैसला आया तथा आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। इस प्रकरण में विशेष रूप से नागपुर के

विशेषसरकारी वकील एडवोकेट विजय काले की नियुक्ति शासन द्वारा पीड़ित व शासन की ओर से की गई। न्यायालय में चले प्रकरण के दौरान 19 गवाह तथा मृतक द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान का आधार, चिकित्सा अहवाल के आधार पर आरोपी को सुनियोजित तरीके से हत्या का षड्यंत्र रचने वह हत्या करने का दोषी करार देते हुए तदर्थ जिला न्यायाधीश क्रमांक एक 1 अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनबी लवटे गोंदिया द्वारा आरोपी किशोर श्रीराम शेन्डे को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 436 की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा235(2)के तहत इस दंडनीय अपराध के लिए दोषी करार दिया। तथा भादवी की धारा 302 के तहत आरोपी को मृत्यु दंड तथा 10000 जुर्माने की सजा सुनाई जुर्माना न भरने पर 6 माह का साधारण कारावास। गोंदिया जिले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय देते हुए आरोपी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जिसमें आरोपी को मृत्यु होने तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा।

मृत्युदंड पर उच्च न्यायालय की पुष्टि किशोर शेन्डे को सुनाई गई फांसी की सजा में भादवी की धारा 366 के तहत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के अधीन दी गई है।

नाबालिक बेटी को जुर्माने की राशि वसूल कर दिया जाए ,साथ ही जिला विधि सेवा प्राधिकरण गोंदिया को निर्देश दिया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 357 ड्डु2 के अंतर्गत शास न द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे की सहायता दी जाए।

मिला न्याय पति ,बेटी और नाती की जलाकर दर्दनाक हत्या करने वाले आरोपी की फांसी की सजा मिलने पर न्यायालय परिसर में उपस्थित मृतक देवानंद की पत्नी ममता मेश्राम द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय द्वारा आज न्याय दिया गया है तथा आरोपी को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए।

पुलिस कर्मियों की न्यायमूर्ति ने की सराहना

हत्याकांड का मामला फास्ट्रेक न्यायालय में चलाया गया जहां रामनगर पुलिस थाने की ओर से न्यायालीन कार्य के लिए पुलिस हवलदार देवीनंदन काशिवार तथा महिला पुलिस हवलदार नमिता लांजेवार की नियुक्ति की गई थी जिनके द्वारा किए गए सहयोग पर न्यायमूर्ति द्वारा उनकी सराहना की गई यह भी विशेष उल्लेखनीय रहा।

नौका विहार का शौक बना जानलेवा नाबालिक युवक की बाघनदी में डूब कर मौत

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले के देवरी तहसील के अंतर्गत आने वाले कारुटोला/ पुराडा में शादी समारोह में आए टेकाबेदर निवासी युवक अमित सुखलाल सलामे नदी में नहाने के लिए गया था इस दौरान नौका विहार का आनंद उठाने के चक्कर में नदी के गहरे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवरी तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम टेकाबेदर निवासी 17 वर्षीय नाबालिग युवक अमित सुखलाल सलामें यह ग्राम कारूटोला पुराडा मैं विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आया था। विवाह समारोह का कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात 14 मई की दोपहर 2 से 2ः30 बजे के दौरान 4 से 5 लोगों के साथ बाघ नदी में नहाने के लिए गया था । इसी दौरान कारूटोला घाट पर स्थित नौका को देखकर नौका विहार का आनंद लेने का निश्चय अमित द्वारा किया गया तथा पानी में नाव चलाने के लिए वह नदी में उतरा , किंतु नाव चलाते समय अचानक संतुलन बिगड़ जाने से नदी के गहरे पानी में नाव पलट गई वह अमित डूब गया। उपरोक्त घटना की जानकारी ग्राम वासियों द्वारा सालेकसा पुलिस को दी गई पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय मछुआरों की सहायता से राहत व बचाव कार्य शुरू किया लेकिन पानी गहरा होने से देर शाम 7ः30 के दौरान अमित का शव मिल पाया। पुलिस द्वारा शव को देवरी के उप जिला चिकित्सालय में भेज कर सालेकसा पुलिस थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की।

बीमा राशि हडपने भाई की हत्या

ममेरे भाई ने 2 साथियों की मदद से दिया घटना को अंजाम

गोंदिया-छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ थाना क्षेत्र के तहत आमाघाट कादा निवासी उत्तम अमृतलाल जंघेल की उसके ममेरे भाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बीमा के लाखों रुपयों के लालच में गला दबाकर हत्या कर दी. वहीं षड्यंत्र रच कर इस हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप दिया गया. इन आरोपियों को खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. तीनों आरोपी गोंदिया जिले के सालेकसा तहसील के निवासी बताए जाते है. आरोपियों में महाराजीटोला निवासी हेमंत भैयालाल ढेकवार (38), कावराबांध निवासी सुरेशकुमार डोमनलाल मच्छिरके (55) व खेडेपार निवासी प्रेमचंद गजलाल लिल्हारे (52) का समावेश है. पुल के पास मिली थी लाश छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम कुम्ही डोंगरगढ़ मार्ग पर पुल के पास 11 मई को एक अज्ञात युवक का शव मिला था. जिसकी जानकारी मिलते ही खैरागढ़ थाने की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. मृतक के पहचान के लिए विभिन्न माध्यमों से प्रयास किया गया. मृतक की पहचान आमाघाट कादा निवासी उत्तम अमृतलाल जंघेल के रूप में हुई. मृतक के परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया. मृतक की मृत्यु संदिग्ध प्रतीत होने से एफएसएल यूनिट व डॉग स्क्वाड को बुलवाकर घटना स्थल, मृतक का शव का निरीक्षण व साक्ष्य संकलित किया गया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने से मृत्यु का खुलासा

मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम किया गया. पीएम रिपोर्ट पर मृतक की मृत्यु गला घोटने से होने का खुलासा हुआ. जिस पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस अधीक्षक

त्रिलोक बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक नेहा पांडेय, उपविभागीय अधिकारी लालचंद मोहले के निर्देश पर आरोपी के तलाश के लिए थाना प्रभारी प्रशिक्षु उपपुलिस अधीक्षक प्रतिभा लहरे, निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में संयुक्त टीम तैयार कर मृतक के संबंध में हर छोटी से छोटी बारीक जानकारी एकत्र कर व प्रकरण में सैंकड़ों सीसीटीवी फुटेज जांचे गए. जानकारी मिली कि मृतक के नाम पर पर कुछ कुछ महीने पहले हारवेस्टर वाहन व एक स्कार्पियों वाहन खरीदी गई है. यह मृतक के मामा के लड़के सालेकसा तहसील के महाराजीटोला हेमंत ढेकवार (38) के पास है. जिसके तहत महाराष्ट्र में जाकर हेमंत ढेकवार की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखकर सूचना संकलन किया गया. संदेह के आधार पर हेमंत को हिरासत में लेकर बारीकी से पूछताछ की गई. जिसमें बताया कि हेमंत के नाम पर एक स्कार्पियों वाहन जनवरी 2024 व एक हारवेस्टर वाहन फरवरी 2024 में खरीदी की. दोनों वाहनों में करीब 30 लाख का फाइनेंस करवाया था. फायनेंस अवधि में उत्तम जंघेल को कुछ हो जाता है तो उसके नाम पर लिए गए सारे लोन की राशि इन्श्योरेंस कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा. साथ ही आरोपी हेमंत द्वारा मृतक उत्तम का भारतीय जीवन बीमा निगम से 40 लाख का दुर्घटना बीमा व एक्सिस बैंक आमगांव से 40 लाख का दुर्घटना बीमा कराया था. जिसके किस्तों का भुगतान स्वयं करता था. राशि के लालच में आकर 10 मई 2024 को आरोपी ने योजना के के मुताबिक उत्तम को कार दिलाने के नाम पर फोन कर डोगरगढ़ बुलाया.

शव पर गाड़ी चढ़ाकर हादसे का रूप देने का प्रयास

अपने साथी कावराबांध निवासी सुरेश मच्छिरके व खेडेपार निवासी प्रेमचंद लिल्हारे को बीमा की राशि मिलने पर पैसे देने की बात कहकर अपने साथ शामिल कर लिया. डोंगरगढ़ में उत्तम को साथ में गाड़ी में बैठाकर शराब अड्डे से शराब खरीदकर उत्तम को शराब पिलाई. मृतक के पास उसके पिता का मोबाइल फोन होने से आरापियों ने योजना के मुताबिक अतरिया ले जाकर मृतक के परिचित के यहां मोबाइल को रखवा दिया.

मृतक को गाड़ी में बैठाकर खैरागढ़ होते हुए गातापार थाना से आगे ले जाकर सुनसान सड़क किनारे पर हेमंत और उसके दोनों साथियों ने मिलकर गमछे से गला घोटकर हत्या कर दी. घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने मृतक के शव को गाड़ी में डालकर कुम्ही डोंगरगढ़ मार्ग पर लाकर रख दिया. हेमंत ने मृतक के शव के उपर 2 बार स्कार्पियों चढ़ाकर मृतक की मृत्यु सड़क दुर्घटना से होने का रूप देकर लौट आए. हत्या में इस्तेमाल गमछा व वाहन जब्त किया गया.

माधव नोतानी 10वीं बोर्ड परीक्षा में जिले में प्रथम

गोंदिया-डीबीएम शिक्षण संस्था द्वारा संचालित गोंदिया पब्लिक स्कूल के माधव नोतानी ने सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोंदिया जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय की परंपरा को बरकरार रखा. इस वर्ष विद्यालय में कुल 125 विद्यार्थी परीक्षार्थी थे. माधव नोतानी ने 97.80 प्रश. अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. सांवली वैद्य 96.60 प्रश, हर्षित सूर्यवंशी 96.20 प्रश, इंद्राणी थलाल 96.20 प्रश, नैंसी चौरे 96.20 प्रश, प्रणव नागपुरे 95.20 प्रश, मुकुल पटले 95 प्रश, विवेक बघेले 94.60 प्रश, अर्पिता येडे 94.40 प्रश, ऋषभ बघेले 93.80 प्रश, सैफ शेख 93.60 प्रश, डिंपल रहांगडाले 93.40 प्रश, श्रावणी ठाकरे 93.40 प्रश, अनिशा पारधी 93 प्रश, जाई रहांगडाले 93 प्रश, विशेष यादव 93 प्रश, कृति सांखरे 92 प्रश, समर्थ चौरे 91.80 प्रश, जीशान शेख 91.40 प्रश, माही डोंगरे 91.20 प्रश, शुभम कोइराला 90.80 प्रश, प्राप्ती बावनथडे 90.40 प्रश, नोविल बागडे 89.60 प्रश, अंक प्राप्त कर 23 विद्यार्थियों ने विशेष प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज किया. प्रावीण्य सूची में 42 और प्रथम श्रेणी में 24 विद्यार्थियों ने अपना नाम दर्ज किया.

2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत, 1 घायल

गोंदिया-रामनगर थाने के तहत आंबेडकर चौक निवासी ऋषभ मेश्राम (30) अपने भाई की मोटरसाइकिल (क्रमांक एमएच 35-बीई 5249) से गोंडीटोला से कुड़वा की ओर आ रहा था. इस बीच आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल क्र. एमएच 31-बीजे 3190 लापरवाहीपूर्वक चलाकर शिव मंदिर के आगे रिषभ की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. जिसमें रिषभ घायल हो गया. फिर्यादी प्रिंस राजकुमार मेश्राम (23) की शिकायत पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार राजू वनवे कर रहे हैं.

हादसे में 1 की मौत

गोंदिया-रावणवाड़ी थाने के तहत आरोपी अपनी मोटरसाइकिल लापरवाहीपूर्वक व तेज गति से चला रहा था. जिसके चलते उसका मोटरसाइकिल से संतुलन बिगड़ गया व डांगोर्ली में किशन दसरे के घर के पास मोटरसाइकिल फिसल गई. जिसमें डांगोर्ली निवासी दीपक तुमसरे (22) की मौत हो गई. बीच में बैठा अजय तुमसरे घायल हो गया. फिर्यादी हवलदार रंजितसिंग बघेले की शिकायत पर रावणवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच पुलिस उपनिरीक्षक पुजा जाधव कर रही हैं.

मारपीट कर दी धमकी

गोंदिया -सालेकसा थाने के तहत सोनारटोला निवासी फिर्यादी अजय रूपचंद मेहर (23) अपने मित्र के बड़े भाई के आशीर्वाद समारोह के लिए सिंधीटोला गया था. जहां पर रात में ज्यादा समय होने के कारण उसने डीजे बंद करने को कहा. जिस पर पहले आरोपी ने गालीगलौज की व दूसरे आरोपी ने लाथघुसों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी. फिर्यादी की शिकायत पर सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार सौंजाल कर रहे हैं.

संपादकिय...

चुनावी बैनरों का कचरा

चुनावी प्रचार के बीचोंबीच कचरे की मौजूदगी और प्रचार में इस्तेमाल सामग्री का वृतांत अदालत तक पहुंच गया। माननीय हाई कोर्ट ने शिमला नगर निगम से त्वरित कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति लगाए गए फ्लैक्स बैनर, पोस्टर व विज्ञापन हटाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे निर्देश कायदे-कानूनों की पोथियों में कब से मौजूद हैं, लेकिन उच्च अदालत को यह कहना पड़ रहा कि कुछ तो कार्रवाई करो। कुछ इसी तरह के निर्देश बीबीएन विकास प्राधिकरण के तहत डंपिंग साइट्स से बरसात से पहले कचरा हटाने के भी हुए हैं। सिरसा नदी और उसके सौ मीटर के दायरे से मानसून के खतरे में कचरा सबसे बड़ा कारक है। अप्रत्यक्ष रूप में अदालती आदेश की भावना को समझें, तो हिमाचल के हर शहर और नदी-नालों से जुड़े परिवेश में समझना होगा कि आखिर इस कचरे का इंतजाम होगा कैसे। वैसे प्रयासरत नगर निकाय घर द्वार से कचरा उठा रहे हैं, लेकिन यह सभ्यता का प्रश्न है जो अड़ोसी-पड़ोसी से, दुकान-व्यापार तक और पर्यटन के हर व्यवहार तक कचरे का जनक बन रहा है। प्रचार सामग्री की अत्यधिकता में शहरों की बदनुमा तस्वीर का अवलोकन करें, तो सियासी संलिप्तता की मशहूरी तो चुनाव में निरंकुश होती नजर आती है। कचरे के ढोल पीटती प्रचार सामग्री का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाजारों की हर अदा में झंडों की कतार सजी है और फिक्र यह नहीं कि इसके आंचल में कितनी अफरातफरी मची है। हद यह कि लोकतांत्रिक प्रतिष्ठानों या राष्ट्रीय महत्व के स्थलों पर चुनाव का चरित्र टंगा है। एक अरसे धर्मशाला शहीद स्मारक समिति प्रशासन से गुहार कर रही है कि यहां इस तरह के विज्ञापन चस्पां न हों, लेकिन ताज्जुब यह कि यहां हर बैनर पर राजनीतिक हस्तियों का सीना ऊंचा होता है। यह सत्ता पक्ष के प्रचार का भी नमूना है कि वहां से लोकसभा के उम्मीदवार के दीदार हो रहे हैं या कहीं उपचुनाव के चमत्कार नजर आते हैं। हिमाचल के कमोबेश हर शहरी निकाय के हाथ बंधे हैं, इसलिए सरकारी संपत्तियों पर चस्पां प्रचार सामग्री की शक्ल में कचरे के अवतार नजर आते हैं। यहां डंपिंग का मसला बीबीएन से सिरसा नदी तक नहीं, बल्कि पर्यटन उद्योग व ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए आ रहे पैकिंग मैटीरियल का भी है। फूड चेन के माध्यम से फास्ट फूड की गुस्ताखियों से अटे पड़े खाली डिब्बे और हाईवे पर खुल रही शराब की दुकानदारी ने खाली बोतलों के जनाजे थमा दिए हैं। बोतलबंद पानी की बरसात हर पहाड़ से पूछिए कि सडक़ के हर मोड़ पर पर्यटक वाहन किस कद्र ढेर उगाते हैं। ब्रेड-बटर और दूध पर मलाई आने से पहले उसकी पैकिंग प्रदेश को कचरे से अभिशप्त कर रही है। हो सकता कुछ समय के लिए शिमला से अवांछित बैनर हट जाएं, लेकिन मौजूदा चुनाव की सामग्री में कचरा तौलेंगे, तो न जाने कितने पहाड़ बन जाएंगे। ऐसे में पर्यटन प्रदेश कहलाने के साथ-साथ कचरे के सही निपटान का प्रबंधन करना होगा। हर शहर से गांव-कस्बे तक डंपिंग साइट्स के अलावा कूड़ा कचरा निष्पादन का उचित प्रबंधन करना पड़ेगा।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस विशेष - 17 मई 2024,साइलेंट किलर की भूमिका में हाइपरटेंशन

हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती जानलेवा बीमारियों की जननी है, जिससे लाखों लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से दिल का दौरा या स्ट्रोक, धमनीविस्फार, दिल की धड़कन रुकना, गुर्दे संबंधित समस्याएं, आंखों की समस्या, चयापचयी समस्या, मनोभ्रंश, स्मृतिदोष जैसी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि साधारणत इसके लक्षण दिखाई नहीं देते और अचानक शरीर में आघात होता है। हर साल 17 मई को दुनियाभर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हाइपरटेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्थिति का शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देने और स्वस्थ भविष्य के लिए उच्च रक्तचाप के प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। सामान्य बीपी अर्थात रक्तचाप 120/80 या उससे कम होता है। हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) तब होता है जब रक्त वाहिकाओं में दबाव सामान्य से बहुत अधिक (140/90 या अधिक) होता है, यह शुरुआत होती है, लेकिन अगर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है। रक्त पंप करने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक दबाव सहन करना पड़ता है। उच्च रक्तचाप का पता लगाने का एकमात्र तरीका अपने रक्तचाप की जांच करवाना है।

डब्ल्यूएचओ ने उच्च रक्तचाप के बारे में कुछ मुख्य तथ्य दर्शाए हैं, दुनिया भर में 30-79 वर्ष की आयु के अनुमानित 1.28 अरब वयस्कों को उच्च रक्तचाप है, जिनमें से अधिकांश (दो-तिहाई) निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। अनुमानित 46त्न वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित इस बात से अनजान हैं कि उन्हें यह समस्या है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित आधे से भी कम वयस्कों (42त्न) का निदान और उपचार किया जाता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग 5 में से केवल 1 वयस्क (21त्न) में यह स्थिति नियंत्रण में है। वास्तव में, इसमें कहा गया है, देश में दिल का दौरा जैसी हृदय संबंधी बीमारियों के कारण होने वाली आधी से अधिक मौतों (52 प्रतिशत) का कारण उच्च रक्तचाप हो सकता है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में उच्च रक्तचाप की

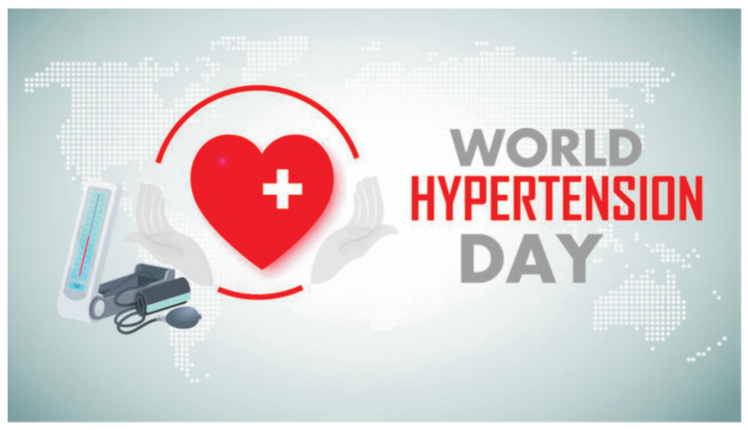

स्थिति नियंत्रण में है। उच्च रक्तचाप दुनिया भर में असामयिक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, जिससे प्रति वर्ष 75 लाख मौतें होती है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 30 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार है।

उच्च रक्तचाप में वैश्विक प्रभाव की स्थिति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि, यदि उच्च रक्तचाप से पीड़ित आधे लोग भी अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रखें तो भारत देश में 2040 तक कम से कम 46 लाख असमय होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 37 प्रतिशत भारतीयों का ही निदान हो पाता है और उनमें से केवल 30 प्रतिशत ही इलाज करा पाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, देश में उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 15 प्रतिशत लोगों में ही यह समस्या सबसे अधिक है, लगभग 30 प्रतिशत भारतीय आबादी इससे पीड़ित है।

हममें से 90 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे गलत खान-पान का सेवन कर रहे हैं, जो जानवरों के भी खाने लायक नहीं है। तैलीय, मसालेदार, नमकीन, मैदा, मीठा और प्रोसेस्ड भोजन हमारे शरीर में धीमे जहर की तरह काम करते हैं, जो हमें घातक बीमारियों से मौत के मुँह में धकेलते है। आधुनिकता और दिखावा मनुष्य के विनाश का कारण बन गया है, आधुनिकता केवल हमारे विचारों में होनी चाहिए, ये मनुष्य समझ ही नहीं रहा है, कि भौतिक सुख सब कुछ नहीं है। भौतिक सुख-सुविधा पर निर्भरता ने मनुष्य को काफी हद तक मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर कर दिया है, जिससे मनुष्य की सहनशक्ति, विचारशक्ति क्षीण होकर तनाव, चिड़चिड़ापन, दुर्व्यवहार और स्वार्थीवृत्ति में लगातार वृद्धि हुयी है। इससे सामाजिक समस्याओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य समस्याओं पर पड़ता है। बड़ी उम्र, आनुवंशिकी, अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना, अधिक नमक वाला आहार, बहुत अधिक धूम्रपान, शराब पीना जैसी स्थिति उच्च रक्तचाप होने का ख़तरा बढ़ाता है।

ग्रामीण आबादी के मुकाबले सुविधा संपन्न शहरी जनसंख्या अधिक बीमारियों का बोझ ढोते है। शहर में विकास के नाम पर शरीर कमजोर हो गए है। प्रदूषण, तनाव, गलत खानपान, व्यसन, अनिद्रा, मिलावटखोरी, व्यायाम की कमी, संसाधनों पर निर्भरता अर्थात आधुनिक जीवनशैली ने शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें बीमार बनाया है। अब हार्ट अटैक या स्ट्रोक उम्र देखकर नहीं बल्कि छोटे बच्चों से लेकर किसी को भी, कभी भी हो सकता है। प्रदूषित वातावरण इस हद तक बढ़ गया है कि गर्भावस्था के दौरान भी गर्भ में पल रहे बच्चों में विकलांगता और जानलेवा बीमारियों में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य सम्बंधित बढ़ती समस्याओं के मूल कारण की ओर लोगों में विशेष जागरूकता नजर नहीं आती है। बीमारियां लगातार क्यों बढ़ रही है, इसके प्रति समाज और देश में बड़े पैमाने पर इतिहास रचने लायक जनजागृति और कड़े नियमों, कानूनों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने लायक कोई भी गतिविधि देश में नहीं होनी चाहिए, ये पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की है और सरकार को पूरा सहयोग करने की नैतिकता जनता की है।

हाइपरटेंशन के रोकथाम में दवा और आधुनिक जीवनशैली में बदलाव के साथ-साथ अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल खाएं, ज्यादा देर तक लगातार बैठना टाले, शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहें, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, नृत्य करना या वजन उठाने जैसी ताकत बढ़ाने वाली गतिविधियां अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने वजन को संतुलित रखें, तनाव को कम करके नियमित रूप से रक्तचाप की जाँच करें, समस्या हो तो योग्य उपचार करना आवश्यक है, चिकित्सक अनुसार देखभाल करें और औषधि लें। सकारात्मक विचार शैली, हेल्दी हॉबी, पोषक आहार, नशे से मुक्ति, स्वच्छता और रोजाना व्यायाम जैसी आदतें हमें बीमारियों से कोसों दूर रखती है। आज के युग की समस्या की सबसे बड़ी जड़ अर्थात झूठा दिखावा और लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं है जो इंसान की सोच को कमजोर करती है, अगर हम ऐसे बेमतलब की बातों से दूर रहेंगे तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। निस्वार्थ परोपकार, समाज सेवा, प्रकृति और जानवरों से प्रेम, देश और समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने से मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि मिलती है कि हम इंसान बनकर जी रहे हैं, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है, यह तनाव मुक्त जीवन जीने का एक आसान तरीका है।

डॉ. प्रितम भि. गेडाम

जलयुक्त शिवार योजनाः घटिया दर्जे का किया गया निर्माण कार्य

वर्षभर में ही बह गए वन नालों पर बने बांध

गोंदिया-जिला प्राकृतिक रूप से घिरा है और जंगलों से आच्छादित है. साथ ही यह जिला नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व अंतर्गत आता है, जिससे यहां सभी प्रकार के जंगली जानवर देखे जा सकते हैं. गर्मी के दिनों में जंगली जानवरों को भटकने से रोकने राज्य सरकार की जलयुक्त शिवार योजना के तहत जंगली जानवरों के लिए वन नालों पर बांध बनाए जाते हैं, लेकिन चिचगढ़ वन क्षेत्र में पिपरखारी गांव के पास 2 और घोगरा गांव के पास 1 बांध 10 लाख की लागत से बनाया गया था. यह निर्माण घटिया गुणवत्ता का किया गया. एक साल में ही बांध बह गए. बांध का निर्माण करने वाले ठेकेदार पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं इस पर निगाहें टिकी हैं. कार्रवाई की मांग की ओर अनदेखी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने, भूमिगत जल की प्रचुरता बनाए रखने और जंगल में जंगली जानवरों को पीने का पानी उपलब्ध कराने सरकार की जलयुक्त शिवार योजना के तहत नालों पर बांध बनाए गए. इन बांधों के निर्माण में लाखों खर्च किए गए हैं. जिसके अनुसार 2023 में चिचगढ़ वन क्षेत्र में पिपरखारी गांव के पास 2 बांध और घोगरा गांव के पास एक बांध का निर्माण किया गया था. इस काम में 10-10 लाख की

निधि दी गई, किंतु योजना की कमी और अधिकारियों की अनदेखी के कारण निर्माण कार्य खराब हो गया. जिसके चलते बांध बह गए. इस संबंध में सोशल मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी, किंतु कार्रवाई तो दूर, वरिष्ठों द्वारा साधारण जांच का आदेश भी जारी नहीं किया गया. जलयुक्त शिवार योजना के तहत चिचगढ़ वन क्षेत्र में पिपरखारी गांव के पास 2 बांध और घोगरा गांव के पास नाले पर एक बांध तैयार किया गया है. इन तीनों बांधों के निर्माण में अधिकारियों व ठेकेदारों की ओर से घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग कर अभियान चलाया गया. बांधों में कई जगह दरारें पड़ गई हैं. कई जगह से टूट गए है. उल्लेखनीय है कि बांधों में पानी की एक भी बूंद जमा नहीं होने से जंगली जानवर पानी के लिए भटक रहे हैं.

लाखांदुर पुलिस ने किया मामला दर्ज शादीशुदा ने नाबालिग को बनाया गर्भवती

भंडारा-शादीशुदा होते हुए भी एक नाबालिग लड़की के साथ नियमित संबंध बनाकर उसे गर्भवती करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में लाखांदुर पुलिस ने तहसील के करहांडला के प्रदुन शंकर मिसार (24) के खिलाफ पोस्को अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोपी की एक साल पहले ही एक युवती के साथ शादी हुई थी. इसके बावजूद आरोपी का शादीशुदा होते हुए भी एक नाबालिग से अफेयर चल रहा था. इसी प्रेम प्रसंग के तहत के आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ नियमित शारीरिक संबंध बनाते रहा. इसके कारण नाबालिग गर्भवती हो गई. इस घटना में नाबालिग की शिकायत पर लाखांदुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना की आगे की जांच थानेदार सचिन पवार के मार्गदर्शन में पुलिस उपनिरीक्षक निशा खोबरागड़े कर रही हैं.

सड़क किनारे पेड़ों पर लगाए रेडियम

अर्जुनी मोरगांव- तहसील के नवेगांवबांध से केशोरी जिला मार्ग पर घना जंगल है, इस जिला मार्ग को बड़ा महत्व प्राप्त है और मार्ग से बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं. इस मार्ग के किनारे स्थित पेड़ों पर रेडियम लगाना आवश्यक है. रात के समय मार्ग किनारे के पेड़ वाहन चालकों को सही तरीके से नजर नहीं आते. दुर्घटना का डर वाहन चालकों को सताते रहता है. पेड़ों पर रेडियम लगाने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. नवेगांवबांध से केशोरी मार्ग के किनारे पेड़ों पर लाल रेडियम लगाने की मांग इन दिनों जोर पकड़ रही है. नवेगांवबांध से केशोरी का मार्ग गोंदिया जिले का महत्वपूर्ण मार्ग है. गढ़चिरोली व चंद्रपुर जिलों को भी यह मार्ग जोड़ता है. इस मार्ग से रात दिन बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं. जिससे मार्ग किनारे के पेड़ों पर - रेडियम लगाने की मांग की जा रही है.

बंद घर से 1.35 लाख के आभूषण चोरी

गोंदिया-सालेकसा थाने के तहत सोनपुरी निवासी फिर्यादी शिवकुमार नागपुरे (25) बाहर गांव गया था. इस बीच अज्ञात व्यक्ति ने उसके घर के पीछे दरवाजे का का ताला तोड़कर 25 हजार रुपए नकद व 1 लाख 10 हजार 300 रुपए के आभूषण मिलाकर कुल 1 लाख 35 हजार 300 रुपये का माल उड़ा लिया. फिर्यादी की शिकायत पर सालेकसा पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार रामेश्वर राऊत कर रहे हैं.

दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे होर्डिंग्स नगर परिषद व यातायात विभाग की अनदेखी

गोंदिया-शहर में जगह-जगह लगे विज्ञापन बोर्डों के कारण दुर्घटना होने की संभावना हर क्षण बनी रहती है. शहर में निजी ट्यूशन क्लासेस की ओर से मार्ग के किनारे, चौराहे, मार्ग के मोड़ व डियाडर के साथ ही बिजली के पोल पर होर्डिंग्स लगाए गए हैं. दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है. वहीं अभी बेमौसम बारिश व आंधी तूफान का दौर चल रहा है जिससे ये होर्डिंग्स कभी भी हवा में उड़कर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकते है, लेकिन नगर परिषद व यातायात विभाग की ओर से इसे नजरअंदाज किया जा रहा है. नागरिकों ने जिलाधीश से ध्यान देने की मांग की है. गोंदिया शहर में बड़ी संख्या में अनधिकृत होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं. शहर बदरंग हो रहा है. इसकी शिकायत कुछ महीने पहले जिलाधीश से की गई थी. जिलाधीश ने शहर में लगे अनधिकृत विज्ञापन बोर्ड हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब फिर से शहर के मुख्य चौराहों पर बड़ी संख्या में विज्ञापन बोर्ड दिखने लगे हैं. बोर्ड से हो रहा ट्रैफिक जाम = बोर्ड ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे है, लेकिन नगर परिषद व यातायात विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है. पिछले कुछ समय से होर्डिंग शहर को बदरंग कर रहे हैं. इसे नजरअंदाज कर दिया

जाता है. बिना अनुमति के सैकड़ों होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं. कुछ निजी ट्यूशन क्लासेस ने शहर के साथ ही फ्लाईओवरों पर होर्डिंग्स लगा दिए हैं. शहर में अनधिकृत बोर्ड लगने से दुर्घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता. जिससे जिलाधीश से इस ओर ध्यान देने की मांग की जा रही है. गोंदिया शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर बड़ी संख्या में विज्ञापन बोर्ड लगाए गए हैं. इसमें अनधिकृत बोर्ड भी शामिल हैं. कुछ चौराहों पर ऊपर से नीचे तक विज्ञापन बोर्ड लगे होते हैं. जिससे सामने से आ रहा वाहन दिखाई नहीं देता. शहर में लगने वाले विज्ञापन बोर्ड से नगर परिषद को काफी आय होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शहर में बड़ी संख्या में अनधिकृत होर्डिंग्स लगाए गए हैं. जिससे नगर परिषद की आय को लाखों का नुकसान हो रहा है.

एक पटवारी, प्रभार अनेक-नुकसान भरपाई का पंचनामा तैयार करने में लापरवाही

गोरेगांव-तहसील में पटवारियों की कार्यालयों में अनुपस्थिति एक बड़ी गंभीर समस्या बनकर सामने आ रही है. हाल ही में तेज बारिश, हवा तूफान से हुए नुकसान भरपाई के अनेक ग्रामों के पांचनामें रुके हुए हैं. साथ ही जरूरी दस्तावेजों पर संबंधित पटवारियों के महीनों से हस्ताक्षर नहीं हैं, ऐसे में नागरिक परेशान है. वहीं दूसरी ओर एक पटवारी पर एक से अधिक ग्राम का प्रभार है, जो इस समस्या का एक कारण बना हुआ हैं. जिसमें पटवारियों द्वारा कार्यालय में उपस्थित रहने का दिन निश्चित किया गया हैस किंतु निश्चित किए गए दिन में भी अपने कार्यक्षेत्र से मंडल अधिकारी व पटवारी नदारद रहते हैं. समस्या पूरे तहसील में निरंतर बनी हुई है.कामकाज पर पड़ा असर जानकारी के अनुसार गोरेगांव में तहसीलदार भदाने समेत नायब तहसीलदार जैसे बड़े अधिकारी पर एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई है. जिसके चलते तहसील के कामकाज पर असर देखा जा रहा है. लेकिन पटवारियों की कार्यालयों में अनुपस्थिति समझ के परे है. तहसील में 9 मई को ग्राम आंबेतलाव, कालीमाटी क्षेत्र में तेज बारिश तथा हवा तूफान से किसानों तथा नागरिकों का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन संबंधित पटवारी द्वारा नुकसान भरपाई के पंचनामे करने में लेटलतीफी की जा रही है. जिससे ग्रामीणों का आक्रोश भी देखा गया है. ऐसी ही स्थिति तहसील के अन्य ग्रामों में देखी जा सकती है. यहां आंबेतलाव, कालीमाटी, कुरहाडी, हिराटोला, गोरेगांव, चोपा, लिंबा, तेढा, तिल्ली मोहगांव, तेलनखेडी, पलखेडा, पालेवाडा, मुंडीपार, मुरदोली, हिरापुर, मलपुरी, बोडूंदा, आसलपानी, बागडबंध, सोनेगांव, दवडीपार जैसे गांवों में पटवारियों की कार्यालय में अनुपस्थिति की यह एक गंभीर समस्या बन गई है.

शहर के फुटपाथों पर जमाया अतिक्रमणकारियों ने कब्जा तोड़ू दस्ता जाते ही दोबारा कर लिया जाता है कब्जा

गोंदिया-वर्षों से नगर प्रशासन शहर के हॉकरों के लिए ठोस नीति नहीं बना पाया है. हॉकर्स जोन तो कागजों में दम तोड़ चुका है. इसका परिणाम शहरवासी भुगत रहे हैं. शहर में ऐसा एक भी बाजार क्षेत्र या सड़कें नहीं हैं, जहां फुटपाथ पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा न हो. फुटपाथ तो पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है, किंतु अतिक्रमण करने वाले ठेलों, गुमटियों और विक्रेताओं के लिए स्थायी ठिकाने बन चुके हैं.अतिक्रमण उन्मूलन दस्ते लगातार कार्रवाई करते रहते हैं, किंतु इसका असर महज घंटे दो घंटे का ही होता है. इधर दस्ता गुजरा उधर दोबारा कब्जा कर लिया जाता है. शहर के फुटपाथ हॉकरों का स्थायी ठीया बन गए हैं, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. ऐसी कई सड़कें हैं जहां दो वर्ष पूर्व तक इक्का-दुक्का ठेले व गुमटियां फुटपाथ पर नजर आते थे लेकिन आज उन्हीं सड़कों पर बाजार लगने लगा है.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में एक बार फिर प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश स्कूल ने लहराया परचम

गोंदिया-सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंकेडरी एज्यूकेशन (सी.बी.एस.ई.), नई दिल्ली द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2023-24 का कक्षा 10 वी तथा कक्षा 12 वी का परीक्षा परिणाम 13 मई को घोषित किये गए, जिसमें एक बार फिर श्रीमती उमाबाई बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, गोंदिया द्वारा संचालित व सी.बी.एस.ई. बोर्ड से संलग्नित प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश स्कूल ने इस वर्ष भी अपना परचम लहरा दिया। प्रोग्रेसिव्ह इंग्लिश स्कूल में कक्षा 10 वी से कु. समिधा सुमेध चंद्रिकापूरे 94.80 %, अंको के साथ विद्यालय से प्रथम स्थान पर रही तथा कु.हिना राजेन्द्र बिसेन 93. 40 %, अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान व कु. अवनी शेखर कटरे 93.00 % के साथ तृतीय स्थान पररही। इसी क्रम में उज्वल दिनेश राहांगडाले 91.60 %, ग्रेसी शरदचंद्र राहांगडाले 91.40 % मा. अजहान रौफ पठान 91.20 %, मा.सिध्दात सतीश महारवाडे 91.00 %, मा. मयंक तुलसीदास बघाडे 90.40 %, मा. भानुप्रताप बिष्णु पटेल 88.60 %, कु. लाविना विनोद रंगलानी 87.00 %, मा. श्रीनिकेतन आनंदराव टेकाम 87.00 %, कु. दिशा अशोक भोंडे 86.20 %, कु. रिया हिराजित वाढई 86.00 %, मा. आयुश सुरेश ऊईके 85.60 %, कु. श्रावणी निशिकांत लोंडासे 85.00 प्रतिशत, मा. अविनाश विलास मात्रे 83.80 प्रतिशत, मा. तेजस्व सुनिल बांगरे 80.00 प्रतिशत, तथा कु. अक्षरा आनंद बावणथडे 80.00 %, अंक लेकर प्राविण्य सूची में रहे। इसी प्रकार कक्षा 12 वी से कु. नैसी मनोज जायस्वाल 87.7 %, अर्जीत कर विद्यालय में प्रथम स्थान पर रही, कु. ऐश्वर्या अरविंद कानतोडे 87 %, अंक अर्जित कर द्वितीय स्थान पर तथा मा. पेरुल राजेन्द्र कटरे 86.8 %, के साथ तृतीय स्थान पर रहे। इसी श्रेणी में मा. अश्विनसिंग सत्येन्द्रसिंग परमार 80 %, कु. बानी अजयपाल बोरकर 77.2 %, कु. शरवरी विनोद लिचडे 77.2 %, कु. त्रिशा विनोद पाटनकर 76.8 %, मा. प्रफुल नंदलाल कसमगोत्रा 76.2 %, कु. गुंजन रविन्द्र बांगरे 76 %, मा. प्रथमेश प्रकाश धुर्वे 75 % अंको के साथ प्राविण्य सुची में रहे। संस्थाध्यक्ष के डॉ.पंकज कटकवार, उपाध्यक्ष श्रीमती अलका पंकज कटकवार, संस्थासचिव डॉ. निरज कटकवार, प्राचार्या श्रीमती मिनाक्षी महापात्रा, ओ.टी. राहांगडाले, विकास पटले, लिना राहांगडाले, सुनिल कटरे, प्रशांत सारंगपूरे, चेतना सुलाखे, उमेश्वरा बिसेन, चेतना बंसोड, कविता खत्री, नुतन पारधी, सोनाली भांडारकर, रविकांता पारधी, महेश पटले, हेमा नायडू, कृणाल करंडे, विकास ऊके, प्रमोद कुंडलीकर ने विद्यार्थीयों को बेहतर परिणाम की बधाई एवं अनेक अनेक शुभकामनाएं दी है।

धुएं से लोगों के स्वास्थ्य को खतरा

जगह पर ही जलाया जा रहा कचरा, ठेका कंपनी की मनमानी

सालेकसा- सालेकसा नगर पंचायत में मुरुमटोला, जांभड़ी, बाकलसर्रा, हलबीटोला गांव का समावेश हैं. करीब 10,000 की जनसंख्या वाली महाराष्ट्र की सबसे छोटी नगर पंचायत है. नपं वर्ष 2015 में अस्तित्व में आई थी. इसके बाद 3-4 वर्ष का कार्यकाल प्रशासक के भरोसे रहा. पदाधिकारियों का कार्यकाल व चुनाव नहीं होने की वजह से डेढ़ वर्ष का कार्यकाल कामकाज को लेकर सुर्खियों में आया है. नगर पंचायत क्षेत्र में कचरा संकलन कर उसे उठाने व उसे गाड़ी से उठाने का ठेका दिया गया है, किंतु ठेका जिस एजेंसी को दिया गया है, एजेंसी नगर पंचायत क्षेत्र में कचरे को एकत्रित कर गाड़ी से निर्धारित स्थान पर डालने की बजाय कचरे को वहीं पर जलाने से परिसर में धुआं फैल रहा है. जिससे नालियां कचरे से भर चुकी हैं. कचरे की वजह से दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है. मच्छरों का प्रमाण बढ़ गया है. इस स्थिति में स्वच्छता के लिए दिए गए ठेके पर सवाल खड़े हो रहे हैं. सालेकसा तहसील मुख्यालय को गांव के रूप में वर्ष 2015 में सालेकसा ग्रापं का सालेकसा नपं में समावेश किया गया. सालेकसा तहसील मुख्यालय गांव होने के बावजूद भी प्रत्यक्ष रूप से बाजार, पंस, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना सभी का आमगांव खुर्द में समावेश था. जिससे आमगांव खुर्द ग्रापं का समावेश भी सालेकसा नपं में करने की मांग को लेकर आमगांव खुर्द के नागरिकों ने आंदोलन किया था. इस नपं में 2 ग्राम पंचायतों के 7 गांवों का समावेश हैं. नागरिकों का आरोप है कि आमगांव खुर्द समेत नपं क्षेत्र के गांवों की समस्या पर नपं प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है. गांवों के मार्ग, बिजली, पानी, स्वच्छता आदि की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है. गांवों में स्वच्छता व कचरा उठाने नगर पंचायत द्वारा एजेंसी की नियुक्ति की गई है. एजेंसी नियमित रुप से सफाई कर कचरा नहीं उठा रही है. जिससे गांवों में हर तरफ कचरा फैला हुआ है.

ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ होगी कार्रवाई

ग्रामसभा के निर्णयों का कार्य प्रारूप में नहीं किया उल्लेख

नवेगांवबांध -ग्राम पंचायत कार्यालय में 22 अगस्त 2023 को आयोजित ग्रामसभा में उपस्थित ग्रामवासियों की ओर से विस्तृत चर्चा के बाद ग्रामसभा के निर्णयों का ग्राम विकास अधिकारी ने ग्रामसभा के कार्य प्रारूप में उल्लेख नहीं किया. महाराष्ट्र जिला परिषद जिला सेवा (अनुशासन व अपील) नियम 1964 के प्रावधान के तहत कार्रवाई के लिए पात्र पाए जाने पर अर्जुनी मोरगांव पंचायत के बीडीओ की रिपोर्ट पर ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. नवेगांवबांध ग्रापं में आयोजित विशेष ग्रामसभा की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी. ग्रामसभा में विषय सूची अनुसार 1-12 विषयों को चर्चा के लिए रखने का ग्रामसभा ने प्रस्ताव रखा था. सभा में 368 लोग उपस्थित थे, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी वी.ई. रामटेके ने पिछली सभा की रिपोर्ट पढ़कर उन्हीं विषयों पर चर्चा की. इस विषय को ग्रामसभा सदस्य विजय डोये ने भरी सभा में रखा था. बीडीओ ने पेश की अपनी रिपोर्ट बीडीओ की जांच रिपोर्ट में बताया गया कि 31 मई 2023 को पिछली सभा का स्थगन ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुरूप नहीं था.

इस सभा में ग्रामीणों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित किया गया कि इसी मुद्दे पर किसी वरिष्ठ अधिकारी का मार्गदर्शन लेकर फिर से ग्राम सभा बुलाई जाए. किंतु ग्राम विकास अधिकारी ने ग्राम सभा के कार्य प्रारूप में उल्लेखित जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी थी. जानकारी नहीं मिलने पर ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ जिप सीईओ से प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत कर जांच की मांग की थी. सीईओ ने बीडीओ को जांच का आदेश दिया था. बीडीओ ने अपनी रिपोर्ट पेश की. इसमें सूचना का अधिकार आवेदन अनुसार ग्रामसभा कार्य प्रारूप रजिस्टर में सभा में उल्लेख नहीं पाया गया.

अवैध रूप से कर रहे थे परिवहन मुरुम लदे 2 ट्रैक्टर और जेसीबी जब्त

गोंदिया-अर्जुनी मोरगांव तहसील के ग्राम खामखुरा पटवारी साझा से बड़ी मात्रा में मुरूम के अवैध परिवहन की स्थिति जागरूक नागरिकों की सतर्कता से सामने आई. नायब तहसीलदार भी अपने सहयोगियों और पुलिस के साथ मौके पर दाखिल हुए. प्रारंभिक जांच के बाद मुरुम से भरे दो ट्रैक्टर और एक जेसीबी को थाने ले जाया गया. खामखुरा में पटवारी साझा में पूर्व मालगुजारी तालाब के पास एक निजी स्वामित्व वाली जमीन है. जेसीबी ने 7 ट्रैक्टरों की मदद से मुरुम की खुदाई की. मुरुम का परिवहन किया. क्षेत्र के कुछ जागरूक नागरिकों ने इसकी सूचना संबंधित विभाग के पटवारी व मंडल निरीक्षक को दी. मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार मामले की गंभीरता को देखते हुए अर्जुनी मोरगांव थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक संभाजीराव तांगड़ अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने मुरुम से भरी ट्रॉली, 2 ट्रैक्टर और 1 जेसीबी को जब्त कर अपनी निगरानी में थाने ले गए. जब नायब तहसीलदार मंगेश क्षीरसागर अपने सहयोगियों के साथ घटना स्थल पर गए तो उन्होंने 5 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को पाया. उन्होंने घटना स्थल का पंचनामा किया. जांच रिपोर्ट उपविभागीय अधिकारी को भेजी जाएगी. खामखुरा पटवारी साझा में निजी स्वामित्व अधिकार समूह क्रमांक-602 से 100 ब्रास मुरूम खनन का परमिट तहसील कार्यालय से दिया गया. मुरूम का उत्खनन गट क्र. 605 से किया गया. लेकिन कोरंभीटोला के नागरिकों ने मोबाइल फोन के माध्यम से तहसीलदार से शिकायत की.

बूचड़खाने ले जा रहे 16 मवेशियों की बचाई जान

ट्रक सहित 10.96 लाख रु. का माल जब्त

गोंदिया-देवरी पुलिस ने 13 मई की सुबह हाईवे मार्ग क्र. 53 पर स्थित पुतडी फाटे पर नाकाबंदी कर ट्रक में लाद कर बूचड़खाने ले जा रहे 16 मवेशियों की जान बचाई. इस कार्रवाई में 16 मवेशियां व एक ट्रक ऐसा कुल 10 लाख 96 हजार रु. का माल जब्त किया गया.

पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने जिले में अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है. जिसके अनुसार उपविभागीय पुलिस अधिकारी विवेक पाटिल के मार्गदर्शन में अवैध धंधों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी छापेमारी कार्रवाई की जा रही है. देवरी पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने हाईवे मार्ग क्र. 53 पर स्थित पुतडी फाटे पर नाकाबंद कर आमगांव की ओर से नागपुर की ओर जा रहे ट्रक क्र. एमएच 40 बीजी सीडी 4920 को रोका गया. जिसकी जांच करने पर उसमें 16 मवेशियां पाई गई. जिन्हें बूचड़खाने ले जाया जा रहा था. पुलिस ने 96 हजार रु. कीमत के 16 मवेशियां व 10 लाख रु. कीमत का ट्रक ऐसा कुल 10 लाख 96 हजार रु. का माल जब्त किया. सुरक्षा की दृष्टि से मवेशियों को गौशाला में भर्ती कराया गया. हवलदार करंजेकर की शिकायत पर आरोपी भंडारा जिले के केसलवाड़ा निवासी सचिन ईश्वर फुंडे (37) व अड्याल निवासी सोहेब शकील शेख (27) के खिलाफ देवरी थाने में मामला दर्ज किया गया. जांच पुलिस नायक दिलीप हातझाडे कर रहे हैं. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, उपविभागीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर व पुलिस निरीक्षक प्रविण डांगे के मार्गदर्शन में हवलदार करंजेकर, पुलिस नायक हातझाडे, सिपाही डोहडे, साठवने, हवलदार बडोले ने की.

प्रशासनिक अनदेखी के चलते विकास की बाट जोह रहा है हाजराफॉल पर्यटन स्थल

गोंदिया-जिले की सालेकसा तहसील में स्थित हाजराफॉल पर्यटन स्थल जिले एवं आसपास के जिलों के नागरिकों के लिए चिरपरिचित पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक हरियाली से पहाड़ों के बीच से गिरनेवाले झरने के मनोहारी दृश्य को देखने के लिए यहां वर्षभर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन इस पर्यटन क्षेत्र के विकास की ओर शासन की अनदेखी के चलते यहां अपेक्षित पैमाने पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। यदि इस स्थान पर पर्यटकों की सुविधा के साथ ही सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए तो, इस पर्यटन स्थल की न केवल कायाकल्प हो सकता है बल्कि रोजगार के अवसर भी स्थानीय युवाओं को प्राप्त हो सकते हैं। जिले के आदिवासी बहुल एवं नक्सल प्रभावित सालेकसा तहसील का यह पर्यटन स्थल गोंदिया से लगभग 55 किमी दूर स्थित है। बारिश के दिनों में जब पहाड़ पर से पानी की विशाल धारा नीचे गिरकर जो धुंआ उठता दिखाई देता है, वह दृश्य यहां आनेवाले हर पर्यटक को रोमांचित करता है। गोंदिया जिले के अंतिम छोर पर स्थित यह प्राकृतिक झरना महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से नजदीक होने के कारण यहां बड़ी संख्या में पर्यटक बारहों महिने आते हैं। बारिश के दिनों में तो यहां आनेवाले पर्यटकों की संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में प्रतिदिन होती है। वन विभाग की सहायता से स्थानीय युवकों ने पर्यटन विकास समिति का गठन किया है। इस समिति की आय का मुख्य स्त्रोत यहां आनेवाले पर्यटकों से मिलनेवाला प्रवेश शुल्क, वाहन पार्किंग शुल्क, सहासी खेलों से मिलनेवाला शुल्क, कैंटिन से होनेवाली आय आदि है। इस आय से लगभग 30 युवाओं को रोजगार भी मिला हुआ है। जो विभिन्न प्रबंधन के कार्य संभालने के अलावा गाइड का काम भी करते हैं। हाजराफॉल पर्यटन स्थल हावड़ा-मुंबई रेल मार्ग पर दरेकसा रेलवे स्टेशन से एक किमी के अंतर पर है। लेकिन यहां केवल लोकल गाड़ियों का स्टापेज है। जिसके कारण लंबी दूरी से आनेवाले पर्यटक यहां सीधे नहीं पहुंच पाते। पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष गोविंद मरस्कोल्हे ने बताया कि समिति को लगभग 30 से 40 लाख रुपए की आय प्रतिवर्ष हो जाती है। जिससे इन युवाओं को प्रतिमाह मानधन दिया जाता है एवं शेष बची राशि से इस क्षेत्र के विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। उन्होंने बताया कि वन विभाग गोंदिया की ओर से भी यहां कैंटिन की इमारत, सहासी खेलों के सामान आदि की व्यवस्था की गई है। हमने शासन को यहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से आवश्यक विकास कार्यों के लिए अनेक बार प्रस्ताव बनाकर दिए हैं। लेकिन अब तक शासन की ओर से न तो इस ओर कोई ध्यान दिया गया है और न ही कोई निधि उपलब्ध कराई गई है। वन विभाग की सहायता एवं स्थानीय समिति के संयुक्त प्रयासों से यहां अनेक प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। शासन यदि इस स्थान पर बोटिंग, सुरक्षा दीवार, विश्रामगृह आदि का निर्माण कर दे तो निश्चित रूप से यह जिले के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में समाविष्ट हो सकता है।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को लेकर उदासीनता

गोंदिया-केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 14 नवंबर 2014 को वन्यजीवों के अवैध शिकार, अवैध व्यापार और अपराध, अंतरराष्ट्रीय शिकारियों और व्यापार के सक्रिय गिरोहों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने राज्य स्तर पर एक पूर्णकालिक समर्पित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित करने का निर्देश दिया था. किंतु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया हैं. जिससे वन्य जीवों पर संकट मंडरा रहा है. वन्यजीव शिकारियों की बढ़ती संख्या, अवैध व्यापार और अपराधों, अंतरराष्ट्रीय शिकारियों के सक्रिय गिरोहों और व्यापार को देखते हुए राज्य स्तर पर प्रभावी नियंत्रण की तत्काल आवश्यकता है. वर्तमान में लागू प्रशासनिक तंत्र में कमियों के कारण वन्य जीव अपराध पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है. इसलिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीवों के अवैध शिकार, अवैध व्यापार और अपराधों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर राज्य स्तर पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए राज्यों को एक पूर्णकालिक समर्पित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित करने का निर्देश दिये थे. वर्तमान में वन विभाग के पास बढ़ते वन्यजीव अपराध को नियंत्रित करने के लिए एक साथ काम करने वाले वन और पुलिस दलों की एकीकृत प्रणाली नहीं है. वन और पुलिस विभाग अलग-अलग प्रशासनिक तंत्र हैं, इसलिए एक साथ काम करने की कई सीमाएं हैं. जिससे एक स्वतंत्र प्रणाली स्थापित करना अत्यावश्यक है. जिले में कई बार अवैध शिकार की घटनाएं हुई हैं. इसमें बाघ, तेंदुआ, हिरण, जंगली सूअर शामिल हैं. कई मामलों में वन्यजीव और वन विभाग ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन कई मामलों में वन विभाग आरोपियों का पता लगाने में विफल रहा. पहले से ही काम का बोझ अधिक होने के कारण विभाग इन प्रकारों पर अंकुश लगाने में विफल हो रहा हैं.

पंचनामा कर किसानों को दिया जाएं मुआवजा

तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा

सालेकसा-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तहसील सालेकसा व शहर कांग्रेस पार्टी तहसील सालेकसा की ओर से तहसीलदार को सालेकसा तहसील में अतिवृष्टि और चक्रवात तूफान से किसानों के खेतों के धान फसल के नुकसान का पंचनामा कर किसानों को मुआवजा मिलने के लिए, उसी प्रकार नपं सालेकसा में विविध समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया. प्रतिनिधि मंडल में शहर अध्यक्ष निर्दोष साखरे, जिप सदस्य विमल कटरे, पंस सभापति प्रमिला गणवीर, पंस उपसभापति संतोष बोहरे, जिला महासचिव राजू काडे, जितेंद्र बल्हारे, विनय शर्मा, विजय फुंडे, रविंद्र चुटे, मनोज शरणागत, विकास बहेकार, मितेश देशमुख, शैलेश चकोले, रोशन गणवीर, श्यामलाल शेंडे, सुशील फुंडे, कृष्ण भैसारे, विनोद मडावी, यशवंत सोनवाने, मेघराज घरत आदि का समावेश था.

स्वामी विवेकानंद के छात्रों का सुयश

आमगांव-केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित किए गए. जिसमें स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल आमगांव के छात्र-छात्राओं ने बाजी मारी. परीक्षा में कक्षा 10वीं में 97 प्रश अंक हासिल कर चिंतन विजय भुसारी प्रथम स्थान पर रहा. द्वितीय स्थान पर आरूषि अग्रिका 95 प्रश, शांतनू ब्राम्हणकर ने 94 प्रश अंक लेकर तृतीय स्थान हासिल किया. कक्षा 10वीं में कुल 67 छात्रों में 6 छात्रों ने विशेष प्राविण्य सूची में अपना स्थान बनाया तथा प्रथम प्राविण्य सूची में 31 छात्रों ने अपना नाम अंकित करवाया व 31 छात्र प्रथम श्रेणी में रहे. द्वितीय श्रेणी में 8 छात्र रहे. कक्षा 12वीं में कुल 20 छात्रों ने परीक्षा दी. उसमें थैलेसरी नंदेश्वर ने 87.4 प्रश अंक हासिल कर प्रथम रही. इन सभी छात्रों के अभिनंदन के लिए शाला की ओर से उनका स्वागत समारोह 14 मार्च को शाला परिसर में आयोजित किया. सफलता का श्रेय शाला के संचालक मंडल, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को दिया. संचालन जीतेश्वरी कटरे ने किया

कुएं से लोहे की सीढ़ी चुराई

गोंदिया-गोरेगांव थाने के तहत दवड़ीपार गांव के बाहर ग्रापं को जलापूर्ति करने वाले कुएं पर लगाई गई लोहे की सीढ़ी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया. फिर्यादी सरपंच मृगलाल एम. कटरे (62) की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

सुभाष गार्डन नुतनीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर सुरु क्लब के सदस्यो को दी जानकारी

बुलंद गोंदिया। शहर के सुभाष गार्डन के नूतनीकरण व सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस हेतु विधायक विनोद अग्रवाल द्वारा 3 करोड़ की निधि शासन स्तर पर सतत प्रयास कर मंजूर कराई गई है। अब तक हुए कामकाज की समीक्षा व जानकारी देने हेतु गार्डन क्लब के सदस्यों व शहर के गणमान्य नागरिकों को विधायक विनोद अग्रवाल के प्रतिनिधि रोहित अग्रवाल द्वारासुभाष गार्डन में आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर सौंदर्यकरण कार्य की जानकारी देने के लिए श्रुति तुराटे, व कॉन्ट्रैक्टर ग्रीन वर्ल्ड प्लांटेशन के प्रतिनिधि ईश्वर साखरे द्वारा अभी तक किए गए कामों की उपस्थितों को अवगत कराया गया। बगीचे में विद्यमान अवरोधों को हटाने व आवश्यक जगह पर जमीन का समतलीकरण का कार्य पूर्ण कर आगे प्रस्तावित कामों का लेआउट दिया जा चुका है। बगीचे के चारों ओर रोड ऊंचे हो जाने से बगीचे में पानी की बाहरी निकासी का कार्य अत्यंत चुनौती पूर्ण होने की जानकारी दी गई। कार्य जल्द से जल्द पूरा हो इसलिए प्लेग्राउंड, भ्रमण मार्ग, लाइटिंग, प्लंबिंग, प्रसाधन गृह, फव्वारे, लैंडस्केप, व्यायाम क्षेत्र, योग हॉल इत्यादि सभी कामों के लिए अलग-अलग ठेकेदार व मनुष्य बल लगाए गए हैं। जिससे सभी काम जल्द से जल्द पूर्ण किए जा सकेंगे। सभी कामों के लिए आधुनिक मशीन व उपकरण मंगाए गए हैं। बगीचे के भ्रमण मार्ग व बच्चों के प्लेग्राउंड को प्रथम प्राधान्य देते हुए अगले 50 दिनों में यह सुविधा जन सामान्य के लिए उपलब्ध करा देने का निश्चित किया गया। इस अवसर पर गार्डन ग्रुप के फतेहचंद खटवानी, अमोल पाटील मूंगमोडे, प्रकाश पटेल, पप्पू खामले, वासुदेव रामटेककर, पंकज शिवनकर, नरेश खेता, किशोर होतचंदानी, राजेश कारिया, बलवान ग्रुप के प्रशिक्षक राजेश वालेछा, योगेश डोडवानी, शंकर पाठक, धीरज पाठक गार्डन प्रमुख के प्रवीण मिश्रा आदि प्रमुखता से उपस्थित थे।

1 लाख 82 हजार की रिश्वत लेते नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी, सभापति पार्षद व अन्य 2 को एंटी करप्शन ने रंगे हाथों धर दबोचा

बुलंद गोंदिया। गोंदिया जिले की सड़क अर्जुनी नगर पंचायत के नगराध्यक्ष, तेजराम किसन मडावी,प्रभारी मुख्याधिकारी नायब तहसीलदार शरद विट्ठल हलमारे, बांधकाम सभापति अश्लेश मनोहर अंबादे,पार्षद महेंद्र जयपाल वंजारी, निजी व्यक्ति पार्षद पति जुबेर अलीम शेख वह शुभम रामकृष्ण येरने को गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा मंगलवार 14 मई को रंगे हाथों धर दबोचा तथा सभी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून के तहत डुग्गीपार पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता 56 वर्षीय पुरुष निवासी लाखनी तहसील लाखनी जिला भंडारा का पुत्र ठेकेदार है तथा नगर पंचायत सड़क अर्जुनी के अंतर्गत वैशिष्ठ पूर्ण योजना के अंतर्गत वर्ष 2023- 24 लेखा शीर्ष के अंतर्गत दो नाली के निर्माण के लिए ई-निविदा के तहत कार्य मंजूर हुआ था तथा शिकायतकर्ता द्वारा सुरक्षा अमानत राशि भी नगर पंचायत में जमा करवा दी गई थी। लेकिन वर्क आर्डर नहीं मिलने पर वर्क आर्डर के लिए शिकायतकर्ता नगराध्यक्ष से भेंट की जिस पर नगराध्यक्ष द्वारा निविदा राशि का 15व्व राशि रिश्वत के रूप में मांग की। विशेष यह की इस जांच के दौरान शिकायतकर्ता मुख्याधिकारी से भी मुलाकात की तो मुख्यधिकारी द्वारा नगराध्यक्ष से मिलने के लिए कहा तथा निविदा की राशि 12 लाख 15634 रुपए की राशि का 15व्व के अनुसार 182000 के रिश्वत की मांग की। लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत देने की मनसा न जाहिर कर इसकी शिकायत गोंदिया एंटी करप्शन विभाग में की गई। इसके पश्चात एंटी करप्शन ब्यूरो गोंदिया द्वारा मामले की जांच कर आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए जाल बिछाया मंगलवार 14 मई को शिकायतकर्ता से रिश्वत की राशि 182000 लेने हेतु आरोपी क्रमांक 1 नगराध्यक्ष द्वारा आरोपी क्रमांक 6 की दुकान में राशि देने की बात कही जिस पर आरोपी क्रमांक 6 द्वारा रिश्वत की राशि पंचों के समक्ष ली गई। उपरोक्त मामले में आरोपी क्रमांक 1 से लेकर 6 तक के खिलाफ गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज किया गया। जिसमें आरोपी क्रमांक 1 नगराध्यक्ष तेजराम किसन मडावी उम्र 66 वर्ष नगर पंचायत सड़क अर्जुनी, आरोपी क्रमांक 2 शरद विट्ठल हलमारे उम्र 56 वर्ष नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय सड़क अर्जुनी अतिरिक्त प्रभार मुख्य अधिकारी नगर पंचायत सड़क अर्जुनी, आरोपी क्रमांक 3 अश्लेश मनोहर अंबादे उम्र 35 वर्ष सभापति बांधकाम समिति नगर पंचायत सड़क अर्जुनी आरोपी क्रमांक 4 महेंद्र जयपाल वंजारी उम्र 34 वर्ष नगर सेवक नगर पंचायत सड़क अर्जुनी आरोपी क्रमांक 5 निजी व्यक्ति जुबेर अलीम शेख उर्फ राजू शेख नगरसेविका का पति प्रभाव क्रमांक 4 सड़क अर्जुनी तथा निजी व्यक्ति शुभम रामकृष्ण येरने उम्र 27 वर्ष सड़क अर्जुनी का समावेश है। उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ डुग्गीपार पुलिस थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया।

उपरोक्त करवाई राहुल माकणीकर पुलिस अधीक्षक एसीबी नागपुर परिक्षेत्र, सचिन कदम अपर पुलिस अधीक्षक, संजय पुरंदरे अपर पुलिस अधीक्षक एसीबी नागपुर परिक्षेत्र के मार्गदर्शन में विलास काड़े पुलिस उप अधीक्षक एसीबी गोंदिया के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक अतुल तवाड़े, उमाकांत उगले स.फौ.चंद्रकांत करपे पो. हवा. संजयकुमार बोहरे,मंगेश काहालकर, नापोशि. संतोष शेंडे, संतोष बोपचे, अशोक कापसे कैलाश काटकर,मनापोशी संगीता पटले ,चालक नापोशि दिपक बाटबर्वे द्वारा की गई।

केपी असाटी पब्लिक स्कूल का परिणाम शत-प्रतिशत

तिरोड़ा-सीबीएसई कक्षा 10वीं के घोषित हुए परिणामों में के.पी. असाटी पब्लिक स्कूल के छात्र- छात्राओं का शानदार प्रदर्शन रहा. के.पी. असाटी पब्लिक स्कूल की छात्रा पलक मिश्रा ने 95 प्रश. अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया. मानसी रहांगडाले ने 90 प्रश. अंक लेकर द्वितीय स्थान तथा आयुषी बचवानी ने 88 प्रश. अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया है. विद्यालय के अध्यक्ष दिलीप असाटी, प्राचार्य जावेद शेख तथा सभी शिक्षकों ने छात्रों का अभिनंदन किया.

पोदार इंटरनेशनल स्कूल के छात्राओं ने मारी बाजी

गोंदिया-पोदार इंटरनेशनल स्कूल गोंदिया के वर्ष 2023-24 की कक्षा दसवीं (सी.बी.एस.ई) के छात्र-छात्राओं ने उच्चतम अंक प्राप्त कर सफलता प्राप्त की. जिसमें प्रथम स्थान गुरलीन कौर बग्गा (96.8 प्रश.), द्वितीय स्थान सरस्वती वाकोडकर (95.6 प्रश) व तृतीय स्थान श्लोक बघेले (94 प्रश) ने प्राप्त किया. गुरलीन कौर बग्गा ने गणित विषय में 100 प्रश अंक प्राप्त किया. संस्कृत विषय में तन्वी खरे ने 100 प्रश अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया. विद्यालय के 13 मेधावी छात्र छात्राओं ने 90 प्रश से अधिकतम अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हुए.

अज्ञात वाहन की टक्कर में चीतल की हुई मौत

गोंदिया-देवरी उत्तर वन परिक्षेत्र की बीट में नागपुर- रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरेंगांव फाटे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में चीतल की मौत हो गई. राष्ट्रीय राजमार्ग से कई जंगली जानवर सड़क पार करते हैं. जंगल परिसर में तेंदुआ, हिरन, भालू, सुअर आदि जानवर हमेशा मौजूद रहते हैं. वहीं अब गर्मी का मौसम है जिससे जंगल में जलस्रोत सूख गए हैं. गर्मी के दिनों में पानी की तलाश में जंगली जानवर भटकते रहते हैं. ऐसे ही भटक रहे चीतल की 15 मई की सुबह 8 बजे नागपुर-रायपुर मार्ग पर स्थित भरेंगांव फाटे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के वनरक्षक और उनके कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पंचनामा किया.

विदेशी पिस्तौल मैगजीन 5 जिंदा कारतूस सहित आरोपी पुलिस की हिरासत में लोकल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई

बुलंद गोंदिया। गोंदिया शहर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले श्रीनगर चंद्रशेखर वार्ड निवासी विक्रांत उर्फ मोनू गौतम बोरकर के पास से एक विदेश निर्मित पिस्तौल मैगजीन वह पांच जिंदा कारतूस जप्त कर लोकल क्राइम ब्रांच गोंदिया ने आरोपी को हिरासत में लिया। गौरतलब है की गोंदिया जिले में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के निर्देशानुसार गोंदिया जिला पुलिस दल द्वारा अपराधियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई कर रहा है। इसी के अंतर्गत 10 मई को लोकल क्राइम ब्रांच जब गस्त पर था तो गुप्त सूचना प्राप्त हुई की गोंदिया शहर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले श्रीनगर चंद्रशेखर वार्ड निवासी विक्रांत उर्फ मोनू गौतम बोरकर उम्र 28 वर्ष के पास एक विदेशी पिस्तौल है तथा जिसे वह नष्ट करने जा रहा है। विश्वसनीय खबर प्राप्त होने के पश्चात लोकल क्राइम ब्रांच द्वारा विक्रांत के घर की तलाशी ली जिसमें एक विदेश निर्मित पिस्तौल,मैगजीन वह पांच जिंदा करतूत अवैध रूप से रखे गए थे जिसे जप्त कर आरोपी को हिरासत में लिया। इस मामले में आरोपी के खिलाफ शहर पुलिस थाने में भारतीय हथियार अधिनियम की धारा 3,25 सहायक धारा 135 मपोका के तहत शहर पुलिस थाने में दर्ज करवाया आगे की जांच शहर पुलिस द्वारा की जा रही है। उपरोक्त करवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर लोकल क्राइम ब्रांच के निरीक्षक दिनेश लबडे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विजय शिंदे पुलिस उप निरीक्षक महेश विघ्ने ,महिला पुलिस उप निरीक्षक वनीता सायकर, पो हवा राजू मिश्रा, महेश मेहर, चितरंजन कोडापे,तुलसीदास लूटे , नेवालाल भेलावे,इंद्रजीत बिसेन, रियाज शेख, पुलिस सिपाही संतोष केदार द्वारा की गई।

5 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले नराधम को 10 वर्ष का सश्रम कारावास, प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

बुलंद गोंदिया। एक 5 साल वर्ष की नाबालिगा के साथ दरिंदगी करने के मामले पर गोंदिया न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए दरिंदे आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा और 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। ग़ौरतलब है कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना अप्रैल 2019 में घटित हुई थी। 5 वर्ष की नाबालिग लड़की को आरोपी किशोर रामु शेन्डे 30 वर्ष निवासी मोखे(किन्ही) तहसील साकोली, जिला भंडारा ने पीड़ित नाबालिका को शादी के मंडप के पास से खेत में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया व भाग गया था। इस मामले पर तिरोडा पुलिस थाने में फिर्यादि की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 (A), 376 (A-B), 511 , 354 , 354 (A) भा.द.वि., सहकलम 8 , 12 पोस्को अन्वये अपराध दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस दरिंदगी के मामले पर कड़ी जांच पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार किया एवं सारे साक्ष्य, सबूत, परिस्थिति जन्य सबूत इकट्ठा कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की।मा. न्यायालय ने इस प्रकरण को स्पेशल केस मानकर कोर्ट कार्रवाई शुरू की। न्यायालय में उक्त प्रकरण की सुनवाई में आरोपी विरुद्ध सारे सबूत, साक्ष्य पुरावे, परिस्थिति जन्य सबूत प्रस्तुत किये। जिसे प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश, वानखेड़े जिला न्यायालय गोंदिया ने ग्राहय मानते हुए आरोपी किशोर शेन्डे को दोषी मानते हुए धारा 363 भादवि के तहत 3 साल की सजा व 1 हजार रुपये दंड, दंड न भरने पर 1 माह की अधिक सजा सुनाई।इसी तरह धारा 354 के तहत 3 साल कैद, 1 हजार दंड, दंड न भरने पर 1 माह अधिक सजा, धारा 376 (-क्र) भा. द.वि. के तहत 10 साल की सजा व 5 हजार रुपये दंड की सजा सुनाई। दंड न भरने पर 3 माह अतिरिक्त सजा सुनाई।उक्त प्रकरण की जांच, पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के मार्गदर्शन में जांच अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक लोणकर, पो . स्टे. तिरोडा ने की। सरकार की ओर से न्यायालय में पैरवी सरकारी वकील कृष्णा पारधी ने की। न्यायालयीन कामकाज पो.हवा. मोहन भोयर, पु. स्टे. तिरोडा ने देखा।

ताइक्कांडो खेल लड़कियों के स्व-संरक्षण के लिए उपयुक्त-पुलिस उप अधीक्षक बनकर

ग्रीष्मकालीन ताइक्कांडो प्रशिक्षण शिविर का समापन

बुलंद गोंदिया। डीजीएम ताइक्कांडो स्पोर्ट्स एजुकेशन एंड यूथ अकादमी एवं गोंदिया जिला ताइक्कांडो एसोसिएशनके संयुक्त विद्यमान में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था फूलचूलपेठ, गोंदिया में ग्रीष्मकालीन ताइक्कांडो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण शिविर समापन कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पुलिस उप-अधीक्षक रोहिणी बनकर प्रमुख रूप से उपस्थित थी । उसी प्रकार जिला व्यवसाय शिक्षण अधिकारी हेमंत आवारे, उप कार्यकारी अभियंता शिखा, उप- प्राचार्य अविनाश केने , गोंदिया जिला ताइक्कांडो असोसिएशन के सचिव तथा मुख्यप्रशिक्षक दुलीचंद मेश्राम इत्यादि मान्यवर प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुवात मां शारदा देवी की पूजा करके की गई, कार्यक्रम में उपस्थित सभी खिलाड़ी एवं पालक वर्ग को पुलिस उप-अधीक्षक रोहिणी बनकर अपने संबोधन में कहा कि ताइक्कांडो खेल लड़कियों के स्वसंरक्षण के लिए उपयुक्त है। एवं सरकारी- अर्ध सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में इस खेल का आरक्षण में समावेश होने के कारण इसका फायदा गोंदिया जिले के खिलाड़ीयोने लेना चाहिए एवं गोंदिया जिले से राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी निर्माण हो ऐसा संबोधन किया, एवं उपस्थित सभी मान्यवारों ने खिलाड़ियों को मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में ताइक्कांडो खिलाड़ियों ने उपस्थित सभी के सामने ताइक्कांडो प्रात्यक्षित एवं ताइक्कांडो फाइट करके नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया, इस प्रशिक्षण शिविर में 100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है, कार्यक्रम का प्रस्ताविक सचिव दुलीचंद मेश्राम ने किया संचालन नरेश बोहरे इन्होंने किया एवं आभार प्रदर्शन उप प्राचार्य अविनाश केने इन्होंने किया। इस प्रशिक्षण शिविर में सह प्रशिक्षक कूंजन डोये, प्राची मौदेकर, कुसुम पटले, पूर्वा भंडारकर, आंचल राऊत, प्रथम भंडारकर,शिवम सोलंके, वैदेही शहारे, माधुरी थेर, शिमरान बनोटे, लावण्या पुसाम इन्होंने कार्यक्रम यशस्वी करने में सहयोग किया।

कटंगी में बर्फ फैक्टरी के पास हुई दुर्घटना ट्रक-बाइक भिड़े, 2 की मौत

गोंदिया-रामनगर थाने तहत् ग्राम कटंगी में बर्फ फैक्ट्री के पास मिक्सर मशीन लेकर जा रहे ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से 2 युवकों की मौत हो गई. मृतकों का नाम चांदनीटोला, नागरा निवासी किरण डोंगरे (34) व राजकुमार चिखलोंडे (40) बताया गया है. जानकारी के अनुसार मृतक किरण डोंगरे चांदनीटोला, नागरा का निवासी था. ईंटभट्ठे में मजदूरी का काम करता था. वह अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल क्र. एमएच 35 - एएन 7148 पर सवार होकर वापस अपने घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान मिक्सर मशीन लेकर जा रहे ट्रक क्र. एमएच 35 - के 5051 के चालक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. घटना में किरण डोंगरे की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई. जबकि राजकुमार की उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हुई. घटना वाले क्षेत्र में रात्रि के समय हमेशा अंधेरा छाया रहता है. जिसके चलते कई बार छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होते रहती हैं. इस मार्ग पर यदि स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो तो दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है. घटना के संदर्भ में रामनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार रुपचंद तिलगाम कर रहे हैं.

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया-४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित । संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र.९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया ।